रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 3, 1974/ चैत्र 13, 1896
No. 79] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 3, 1974/CHAITRA 13, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd April 1974

SUBJECT :—*Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1974-75—Corrigendum.*

No. 47—ITC(PN)/74.—Attention is invited to Paragraph 251(2) and application form 'E(CG)' appearing in the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1974-75.

The following corrections may be made at the appropriate places in the aforesaid book as indicated below :—

Page No. of the Hand Book	Reference	Correction
182	Sub-para 251(2)	The existing entry '18 months' may be substituted by '24 months'.
324—331	Form "E(CG)"	The contents of the existing application form 'E(CG)' appearing on page 324 may be substituted by Annexure to this Public Notice.

ANNEXURE

FORM 'E(CG)'

Import Licence Application for Capital goods and heavy Electrical plant

(Four Copies to be Submitted)

PART I

NOTES

1. Applicants are advised to read the licensing instructions for the current period as mentioned in Chapter VI of Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, before filling up the application form. The application should be legible and complete in all respects to avoid correspondence/delay and rejection.

2. The application should be signed by the authorised representative of the company.

3. Documentary evidence and supporting documents as asked for and applicable must accompany this application.

1. *Particulars of Applicant*

 1·1 Name
 1·2 Registered Address
 1·3 Postal address for correspondence
 1·4 Sponsoring Authority
 1·5 Administrative Ministry

2. *Nature of Concern*

 2·1 Proprietary/Partnership/Private Ltd./Public Ltd.
 2·2 Whether the undertaking is registered under the MRTP Act ?
 2·3 In case of Limited companies, details of capital structure :
 (i) Capital structure
 (ii) Authorised, issued and subscribed capital
 (iii) Foreign shareholding, if any, and percentage there of with full particulars
 2·4 Names and addresses of the Proprietors/Partners/Directors

3. *Particulars of the Industrial unit*

 3·1 Name and location of the unit
 3·2 Whether an industrial licence or a letter of intent has been issued under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

S.G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1974

विषय:—आयात व्यापार नियंत्रण हैंड-बुक क्रियाविधि, 1974–75—शुद्धिपत्र/

संख्या 47–आई०टी०सी० (पी०एम०) /74.—आयात व्यापार नियंत्रण हैंड बुक, क्रिया-9'' –75 ' कंडिका २८1(2) और प्रपत्र ('ई–सी जी') की ओर ध्यान

निम्नलिखित संशोधन उपर्युक्त पुस्तक में नीचे संकेत किए गए के अनुसार उचित स्थानों पर किए जाएं :—

हैंड बुक की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
182	उप-कंडिका 251 (2)	वर्तमान प्रविष्टि '18 माह' को '24 माह' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।
324–331	प्रपत्र 'ई (सी जी)'	पृष्ठ संख्या 324 पर प्रदर्शित वर्तमान आवेदन पत्र के प्रपत्र 'ई–(सी जी)' की विषयवस्तु का इस सार्वजनिक सूचना के अनुबंध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

अनुबंध

प्रपत्र 'ई–(सी जी)'

पूंजीगत माल तथा भारी विद्युतीय संयंत्र के लिए आयात आवेदन-पत्र

(चार प्रतियां प्रस्तुत की जानी हैं)

भाग–1

टिप्पणियां

1. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र करने से पूर्व वे आयात व्यापार नियंत्रण हैंड बुक क्रियाविधि के अध्याय VI में वर्तमान अवधि के लिए यथा उल्लिखित लाइसेंस संबंधी अनुदेशों को पढ़ ले । पत्राचार /विलम्ब और अस्वीकृति से बचने के लिए आवेदन पत्र सब प्रकार से सुपाठ्य और पूर्ण होने चाहिए ।

2. आवेदन-पत्र कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

3. यथा वांछित और लागू होने वाले प्रलेखीय साक्ष्य तथा सहायक प्रलेख इस आवेदन पत्र के साथ लगाए जाने चाहिएं ।

1. आवेदक के ब्यौरे

1.1 नाम

1.2 पंजीकृत पता

1.3 पत्राचार के लिए डाक पता

1.4 प्रायोजक प्राधिकारी

1.5 प्रशासनिक मंत्रालय

2. उद्योग किस प्रकार का है

2.2 क्या प्रकम एम आर टी पी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है ?

2.3 लिमिटेड कम्पनी के मामले में पूंजीगत माल के ब्यौरे :

(1) पूंजी का स्वरूप

(2) प्राधिकृत, जारी की गई और अभिदत्त पूंजी

(3) यदि कोई विदेशी हिस्से भी है, और पूर्ण विवरण के साथ उसका प्रतिशत

2.4 स्वामी / साझेदार / संचालक के नाम और पते

3. औद्योगिक इकाई के विवरण

3.1 एकक का नाम और स्थान

3.2 क्या औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस या अभिप्राय पत्र जारी किया गया है ।

एस० जी० बोस० मल्लिक, ।

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।